

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
लखीसराय।

पटना, दिनांक जून, 2016

विषय :- चौकीदार स्व0 मोईन खान, पे0-स्व0 इस्माईल खान, ग्राम+ पो0-उरैन, थाना-कजरा, जिला-लखीसराय की आश्रित पत्नी मसो0 जुबैदा खातुन को अनुग्रह अनुदान की राशि कुल ₹ 10,00,000 (दस लाख रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-106/आ0प्र0, दिनांक 17.03.2016 के प्रसंग में गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के पत्रांक-3660, दिनांक 11.05.2016 एवं विभागीय शुद्धि पत्र सं0-4183, दिनांक 30.05.2016 के आधार पर चौकीदार स्व0 मोईन खान, पे0-स्व0 इस्माईल खान, ग्राम+पो0-उरैन, थाना-कजरा, जिला-लखीसराय की नक्सली उग्रवादियों द्वारा की गयी हत्या के फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प सं0-2411, दिनांक 12.11.2005 एवं पत्रांक-2001, दिनांक 19.08.2011 में निहित प्रावधान के आलोक में चौकीदार स्व0 मोईन खान, पे0-स्व0 इस्माईल खान, ग्राम+पो0-उरैन, थाना-कजरा, जिला-लखीसराय की आश्रित पत्नी मसो0 जुबैदा खातुन को अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत कुल ₹ 10,00,000 (दस लाख रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना के मांग सं0-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 113-पुलिस कर्मियों का कल्याण, उपशीर्ष 0006-अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष 31 02 अनुग्रह अनुदान तथा विपत्र कोड N2055001130006 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3.. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, लखीसराय होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, लखीसराय से की जायेगी।

5. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

6. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

8. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-56/2015गृ0आ0.....पटना, दिनांक जून, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-56/2015गृ0आ0.....पटना, दिनांक 09 जून, 2016

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना/मसो0 जुबैदा खातुन, पत्नी स्व0 मोईन खान, चौकीदार, पे0-स्व0 इस्माईल खान, ग्राम + पो0-उरैन, थाना-कजरा, जिला-लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव